

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०

11/5/18  
पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक  
अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से  
पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में  
दिनांक 11.5.18 का गैर है।

OP

11/5/18  
पत्रावली का मध्य कोर्ट प्रणालिया में पेश हुई। A.C.N  
उ.प.प.न.प. कोर्ट कार्यालय ने पत्रावली में संश्लेषित किया  
कि प्रयोग के लिए के बीच से जा रही विडाली की  
कार्यवाही को डील के पास सिफर कर दिया है। इसलिए  
पत्रावली में कार्यवाही शेष नहीं है। (पत्रावली प्रकाशित  
की जाती है। प्रमाण सुचारु होकर प्रमाण होकर ही  
11/5/18 का प्रमाण प्रमाण प्रमाण है।

OP